कार्यालय :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा ।
E-mail cf-chaibasa@gov.in/ P.O. Chaibasa, West Singhbhum

पत्रांकः :– 73 दिनांकः:– 15-01-2019

सेवा में,

वन प्रमडल पदाधिकारी,
सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा ।

विषय :– मेसर्स रामेश्वर जूट मिल्स, बरायबुरू–टाटीवा लौह एवं मैगनीज खनन पट्टा क्षेत्र 258.9896 हे0 मे से 14.50 हे0 वनभूमि हेतु अपयोजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक 2801 दिनांक 17.12.2018 तथा आपका पत्रांक 2760 दिनांक 31.12.2018 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा समर्पित निराकरण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया । अनुपालन प्रतिवेदन के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक(नोडल पदाधिकारी) के द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित किया गया है, जिसे आपके द्वारा अग्रसारित कर दिया गया है । अतः आवश्यक है कि विषयक परियोजना के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर जाँचोपरान्त प्रतिवेदन समर्पित किया जाय :–

1. प्रस्तावित लीज क्षेत्र में 2.2476 हे0 25.10.80 के पूर्व खंडित बताया गया है एवं 07 pits का रकवा 1.7056 हे0 एवं सड़क का रकवा 0.542 हे0 प्रतिवेदित है|इस क्षेत्र को जंगल–झाड़ी के रूप में दर्शाया गया है एवं 25.10.1980 के बाद खनन कार्य नहीं होना सूचित किया गया है, परन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि पूर्व खण्डित सड़क जिसका रकवा 0.542 हे0 है, का उपयोग वर्त्तमान में हो रहा है या नहीं । अतः जाँचोपरान्त सूचित किया जाय कि सड़क जिसका रकवा 0.542 हे0, का इस्तेमाल वर्त्तमान में किया जा रहा है या नहीं । स्थलीय जाँच के उपरान्त इस 0.542 हे0 क्षेत्र को नक्शा पर दर्शाया जाय ।
2. जिस क्षेत्र को 25.10.1980 के पूर्व खण्डित बताया जा रहा है एवं वर्त्तमान में खनन कार्य नहीं होना बताया जा रहा है, उसे नक्शा पर दर्शाया जाय एवं स्थलीय जाँच कर बतावें कि वास्तव में इस स्थल पर खनन कार्य नहीं हो रहा है। यह खण्डित क्षेत्र कितने पैचेज में है, इसकी भी जाँच कर ली जाय ।
3. वर्त्तमान में प्रयोक्ता संस्थान के द्वारा Road एवं rest shelter हेतु आरक्षित वनभूमि 1.2245 हे0 एवं सुरक्षित वनभूमि 4.2640 हे0 का प्रस्ताव दिया गया है । प्रयोक्ता संस्थान के द्वारा समर्पित नक्शे की जाँच कर संतुष्ट हो लें कि इनके सभी खनन पीट से मुख्य मार्ग तक जाने हेतु जितनी वनभूमि का उपयोग सड़क हेतु किया जाएगा, इसे प्रस्ताव में सम्मिलित कर लिया गया है या नहीं ।

अतः Online proposal भेजते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाय ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके ।

आपका विश्वासी,

15/1

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा ।

15/1/19

Old Destop ,Sudir)